राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1973

(1973 का अधिनियम संख्यांक 2)

[13 मार्च, 1973]

राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948
का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार करने का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1973 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. 1948 के अधिनियम 41 का विस्तार—राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) इसके द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार किया जाता है और वह जम्मू-कश्मीर राज्य में तथा उसके संबंध में प्रवृत्त होगा और तदनुसार,—

(क) मूल अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य राज्य को और उसके संबंध में लागू होते हैं;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) का लोप कर दिया जाएगा ।

3. धारा 8 का संशोधन—1978 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा निरसित।

———